क्रम संख्या–165

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 28 जून, 2013 ई0

आषाढ़ 07, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

ऊर्जा अनुभाग–2

संख्या 1229/I(2)/2013/05–104/2005 T.C.-1

देहरादून, 28 जून, 2013

अधिसूचना

प0 आ0–104

उत्तराखण्ड राज्य में जल विद्युत परियोजना क्षेत्र में विस्थापितों/प्रभावितों के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन के उद्देश्य से श्री राज्यपाल "जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना नीति, 2013" जिसकी प्रति संलग्न है, लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के लिये पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति, 2013

1.परिचय

नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऊर्जा सामाजिक एवम् आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के आर्थिक विकास के लिए जल शक्ति का विकास अत्यन्त आवश्यक है। हिमालयी क्षेत्र में असीम अप्रयुक्त पनबिजली क्षमता मौजूद है जो कि देश में बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। उत्तराखण्ड सरकार राज्य की कुल पनबिजली क्षमता को विकसित कर लगभग 27000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पर्वतीय राज्य उत्तराखण्ड देश के उत्तर में स्थित है। राज्य की भौगोलिक स्थिति में विविध स्थलाकृति ऊची–ऊची पर्वतमालाएँ, गहरी घाटियाँ और उपजाऊ मैदानी इलाके हैं। उत्तराखण्ड की प्रमुख नदियां भागीरथी, अलकनन्दा, यमुना, धौलीगंगा, महाकाली इत्यादि हिम श्रृंखलाओं से निकल कर राज्य से होकर गुजरती है जिसमें प्रचुर मात्रा में जल संसाधनों के दोहन की संम्भावनाये हैं। इन नदियों और उनकी सहायक नदियों में प्रचूर निर्वहन जल पूरे वर्ष रहता है जो विद्युत उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे अन्य सामाजिक बुनियादी ढांचे का यह मजबूत आधार है

2. परियोजना एक नज़र:

(सम्बन्धित परियोजना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख यहाँ किया जाएगा।)

3. परियोजना की मुख्य विशेषताएं

(सम्बन्धित परियोजना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख यहाँ किया जाएगा।)

1. स्थान
2. जलविज्ञान
3. नदी के जल प्रवाह के दिशापरिवर्तन का कार्य
4. मुख्य बांध/बैराज
5. जलाशय भंडारण
6. स्पिलवे
7. पेन स्टाक
8. विद्युत गृह परिसर
9. पारेषण लाइन
10. विद्युत उत्पादन
11. अनुमानित लागत
12. वित्तीय पहलू
13. प्रभावित गाँव
14. प्रभावित जनसंख्या

भाग –1

4. परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के विभिन्न विवरणों के सम्बन्ध में सूचना।

सम्बन्धित परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं/विवरण यहाँ दिया जाएगा।

(क) परियोजना के लिए अधिगृहित भूमि की माप एवं प्रभावित गाँवों के नाम।

(ख) प्रभावित लोगो के परिवार–वार, ग्राम–वार सूची एवं उसके द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में खोए गये एवं खोये जाने की सम्भावना वाले अर्जित या अधिकृत चल एवं अचल सम्पत्ति की मात्रा प्रकार एवं उनके सर्वे संख्या का निर्देशन।

(ग) ऐसे क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों की सूची जिनकी आजीविका कृषि गतिविधियों पर निर्भर करता है एवं जो खेतिहर मजदूर है।

(घ) ऐसे व्यक्तियों की सूची जिन्होने अपना रोजगार खो दिया है या खोने की सम्भावना है या जो भूमि अधिग्रहण के कारण आंशिक व पूर्ण रूप से अपने व्यवसाय, व्यापार से अलग–अलग पड़ गए है या जिनका किसी भी अन्य कारण से अनैच्छिक विस्थापन हो रहा हो।

(ड़) गैर–कृषि मज़दूरों की कारीगरों सहित एक सूची।

(च) बिना मालिकाना हक वाले भूमिहीन एवं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को सम्मिलित करते हुए भूमिहीन प्रभावित परिवारों की एक सूची।

(छ) माननीय प्रभावित व्यक्तियों की एक सूची।

(ज) कब्जाधारियों की एक सूची।

(झ) सार्वजनिक उपयोगिताओं और सरकारी इमारतों की सूची जो प्रभावित हो या जिनके प्रभावित होने की संभावना है।

(ञ) सार्वजनिक एवं सामुदायिक सम्पत्ति परिसंपत्ति एवं अवसंरचना का विवरण।

(ट) लाभ एवं पैकेजो की सूची जो प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ठ) पुर्नस्थापना प्रभावित परिवारों के भूमि के आवंटन के लिए पुनर्वास क्षेत्र में उपलब्ध भूमि की सीमा एवं विवरण।

(ड) पुनर्वास के लिए दिए जा रहे सुविधियों एवं बुनियादी सुविधाओं के विवरण।

(ढ) विस्थापित लोगों के पुनर्वास क्षेत्र में स्थानान्तरण एवं पुर्नस्थापना के लिए समय सीमा।

(ण) अन्य विवरण जिसे पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए प्रशासक आवश्यक समझते हों।

भाग– 2

5. उत्तराखण्ड राज्य में पनबिजली परियोजनाओं के परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति

जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए सरकार की भूमि के अलावा निजी भूमि को निजी व्यक्तियों से अधिग्रहण करना आवश्यक होता है। परियोजना के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण के कारण वहाँ रह रहे परिवारों की एक बड़ी संख्या प्रभावित हो जाती है। परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित कार्य के समय सामग्री की एक बड़ी मात्रा के परिवहन, बांध के निर्माण के कारण गाँवों का डूबना एवं अन्य कार्यो से गाँवों में परिवारो के जीवन में प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना होती है। उत्तराखण्ड सरकार परियोजना के निर्माण के कारण पैदा किसी भी कठिनाइयों को कम से कम करने के अलावा क्षेत्र में रहने वाले लोगो के जीवन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

परियोजना से प्रभावित लोगों और भूमिहीन परिवारों (और किसी भी अन्य परियोजना के निर्माण चरण के दौरान प्रभावित परिवार) के पुनर्वास एवम् पुनर्स्थापन के लिए यह नीति है। प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवम् पुनर्स्थापन के हितों की रक्षा के लिए यह नीति तैयार करते हुए इस नीति में पर्याप्त व्यवस्था शामिल की गई है।

यह नीति उत्तराखण्ड राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण नीति 1894 के तहत भूमि का अधिग्रहण के कारण प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए है। यह नीति हिमांचल सरकार के जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु स्थापित उपक्रम हिमांचल प्रदेश पावर कारर्पोरशन लिमिटेड की अधिसूचना संख्या Rev(PD)F(5)-1/1999 दिनांक 27.04.2006 की पुर्नवास एवं पुनर्स्थापना नीति, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 एवम् नेशनल हाईड्रो पोलिसी 2008 को ध्यान में रख कर बनाई गयी है।

6. उद्देश्य:

(1) परियोजना के निर्माण के कारण प्रतिकूल प्रभावित परिवारों को क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने हेतु।

(2) परियोजना निर्माण से प्रभावित परिवारों को बेहतर बुनियादी सुविधाये देने के लिए, स्थायी आय और बेहतर कौशल के माध्यम से क्षेत्र के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु और क्षेत्र के लोगो के विकास का एक हिस्सा बनाने के लिए।

(3) सरकार की अच्छी छवी एवम् दीर्घकालिक अच्छे सम्बन्धों के लिए।

(4) यह सुनिश्चित करने के लिए है कि व्यक्ति और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के अधिकारों की पर्याप्त रूप से रक्षा की जा सके।

7. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना

परियोजना निर्माण में भूमि के कम से कम अधिग्रहण का प्रयास रहता है ताकि परिवारों को विस्थापित न करना पड़े परन्तु कई बार यह अपरिहार्य हो जाता है। ऐसा होने की दशा में यह महत्वपूर्ण है कि प्रभावित परिवारों के हितों का ध्यान रखा जाए।

भूमि का अधिग्रहण आम तौर पर भूमि उपयोग के तरीके में बदलाव लाती है और पूर्व आर्थिक आधार को बदल देती है।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की नीति इस उद्देश्य से बनाई गई है ताकि जिन परिवारो को भूमिहीन कर दिया गया हो या जिनकी भूमि/घर/दुकान अधिगृहित कर ली गई हो, को इस तरह पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन किया जाए की वह पहले से बेहतर या कम से कम पूर्व आजीविका स्तर की आय क्षमता और अर्जन क्षमता को हासिल कर सकें। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि परिवर्तन के इस अंतराल को न्यूनतम संभव हद तक कम किया जा सके। उचित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ एक सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखा जा सकता है जो परियोजना के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है। आम तौर पर देखा जाता है कि भूमि के अधिग्रहण के

दौरान विस्थापन अनैच्छिक होता है और परियोजना प्रभावित परिवारों को नई सामाजिक व्यवस्था का सामना करना पड़ता है । ऐसी परिवर्तन अवधि में, ग्रामीण आर्थिक वातावरण आम तौर पर उच्च लागत के रहन–सहन में तब्दील हो जाता है और रहने वालों की आय के पारंपरिक स्रोतों में कमी आती है। परियोजना प्रभावित परिवारों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और नई सामाजिक व्यवस्था से निपटना पड़ता है।

भूमि उपयोग प्रतिमान के बदलाव से काफी हद तक कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्रभावित परिवारों की जीवन शैली में परिवर्तन आता है।

8. राहत पुनर्वास रणनीतियाँ:

(1) प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा दी जाने वाली संपत्ति का पर्याप्त प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त मुआवजा दिया जाएगा।

(2) परियोजना प्रभावित क्षेत्र की स्थानीय आबादी को छात्रवृत्ति के माध्यम से शिक्षा बेहतर रहन–सहन सहित आम व्यवसायों के क्षेत्र जैसे कृषि उद्यानिकी आदि का प्रशिक्षण और बेहतर आजीविका के लिए शिक्षावृत्ति मार्गदर्शन और परामर्श दिया जाएगा।

(3) परियोजना क्षेत्र के सामान्य विकास के लिए सार्वजनिक भागीदारी और सामुदायिक विकास के माध्यम से सड़कों, फुटपाथों, पुलों, पानी की आपूर्ति सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार आदि का कार्य कराना है।

(4) स्वरोजगार या अप्रत्यक्ष रोजगार योजनाओं के माध्यम से परियोजना की गतिविधियों में स्थानीय लोगो के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना।

(5) नियमित बैठकों, सार्वजनिक सूचना केन्द्रों, मुद्रित सामग्री, परियोजना प्रभावित परिवारों के पहचान कार्ड, कार्यों आदि के माध्यम से जनता के साथ एक दोस्ताना संपर्क को बनाए रखना।

(6) विषम कठनाईयों में लोगो को सीधे मदद उपलब्ध कराना।

भाग– 3

9. इस योजना को उत्तराखण्ड मे बनने वाले पनबिजली/बहुद्देशीय परियोनजाओं से प्रभावित परिवारों हेतु पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति कहा जा सकता है।

यह उत्तराखण्ड में बनने वाली पनबिजली परियोजना से होने वाले सम्पूर्ण अथवा आंशिक प्रभावित क्षेत्र तक बढायी जा सकती है। पंचायत को एक यूनिट माना जायेगा तथा सभी पंचायत क्षेत्र जहां या तो भूमि अधिग्रहित की जायेगी अथवा भूमिगत कार्य किये जायेंगे परियोजना प्रभावित क्षेत्र माना जाएगा।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजनाओं हेतु आयुक्त जो कि राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में बनने वाली विभिन्न परियोजनाओं के राहत एवं कल्याण कार्यो में

पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं, प्रभावित परिवारों के कल्याण कार्यों हेतु भी आयुक्त होगें जिससे कल्याण कार्य उनके दिशानिर्देश एवं सलाह के अन्तर्गत किये जाये।

उपायुक्त जिसके अधिकार में परियोजना प्रभावित क्षेत्र आते हैं पुनर्वास, पुनर्स्थापन एवं कल्याण कार्यो हेतु प्रशासक होगा तथा उनकी देख रेख एवम् नियत्रंण में ये कार्य किये जायेंगे।

10. परिभाषायें:–

(1) "परिवार"

परिवार से अभिप्राय उस व्यक्ति के पति/पत्नी उनके बच्चे जिसमें सौतले अथवा गोद लिये बच्चे शामिल हो, पौत्र एवं उसमें शामिल उसके/उसकी परिजन तथा वे भाई एवं बहिनें जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा–4 की अधिसूचना की तिथि को पंचायत परिवार में उसके साथ संयुक्त रूप में रह रहा/रही हो,

स्पष्टीकरण:

पुनर्वास लाभ के साथ–साथ रोजगार अवसरों हेतु अलग परिवार का निर्धारण भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने की तिथि में पंचायत परिवार रजिस्टर में प्रविष्टि को संज्ञान में रखकर किया जायेगा।

(2) "परियोजना प्रभावित परिवार (पी.ए.एफ)"

(क) परिवार जिसके रहने का प्रमुख स्थान या अन्य सम्पत्ति या आजीविका का स्रोत परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप पूर्ण रूप से प्रभावित या किसी अन्य कारण से अनैच्छिक विस्थापन हो, या

(ख) कोई भी भूमिधारक, किरायेदार, पट्टेदार या अन्य सम्पत्ति के मालिक जो परियोजना प्रभावित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप (आबादी में भूखण्ड या अन्य सम्पत्ति), या अन्य कारणों से इस भूमि या अन्य संपत्ति से अनैच्छिक विस्थापित हो गए हो या

(ग) कोई भी कृषि मजदूर एवं गैर कृषि मजदूर, भूमिहीन व्यक्ति (जिसके पास भवन योग्य भूमि, कृषि भूमि या न ही भवन योग्य अथवा न ही कृषि योग्य भूमि हो), ग्रामीण दस्तकार, छोटे व्यापारी अथवा स्वयं रोजगार करने वाले व्यक्ति, जो कि परियोजना क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने से कम से कम तीन वर्ष पूर्व से व्यवसाय, व्यापार अथवा रोजगार कर रहा हो तथा उस ग्राम सभा की निर्वाचक नामावली में अंतिम मतदाता हो अथवा ग्राम सभा के परिवार रजिस्टर में पंजीकृत हो तथा वह व्यक्ति जो कि प्रभावित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण होने के फलस्वरूप अपने आजिविका से वंचित हो गया हो अथवा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपने व्यापार, व्यवसाय, रोजगार के प्रमुख स्रोतो से अलग हो गया हो अथवा अनैच्छिक रूप से किसी कारण से विस्थापित हो

स्पष्टीकरण

अधिसूचना की तिथि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के धारा 17 (4) या 4 के तहत अधिसूचना की तिथि को लिया जायेगा।

परियोजना प्रभावित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष से निवास करने के साथ साथ आजीविका पर पडने वाले प्रभाव का निर्धारण सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी जो उपजिलाधिकारी से अन्यून स्तर का होगा, करेगा।

(3) "मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार"

मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार वे परियोजना प्रभावित परिवार है जो भूमि अधिग्रहण होने के फलस्वरूप भूमिविहीन हो गये हो अथवा जिनका मकान/भवन परियोजना हेतु अधिग्रहित कर लिया गया है।

(4) मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार जो भूमिविहीन हो गए है।

मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार जो भूमिविहीन हो गए हो से तात्पर्य उन परिवारों से है जिनके सम्पूर्ण कृषि भूमि परियोजना हेतु अधिग्रहित कर ली गयी है अथवा

जिनकी कृषि भूमि परियोजना अधिग्रहण के फलस्वरूप उसकी मूल जोत के 30 प्रतिशत या उससे कम रह गयी हो। इस प्रायोजन हेतु व्यक्ति एवमं उनके परिवार के सदस्यों की परियोजना क्षेत्र में सम्पूर्ण कृषि भूमि को गणना में लिया जायेगा। किसी व्यक्ति को भवन एवम् भवन से जुडी भूमि के अधिग्रहण के फलस्वरूप भूमिविहीन परियोजना परिवार की श्रेणी में नहीं लिया जायेगा। भूमिविहीन परियोजना प्रभावित परिवारों को संबधित उपायुक्त द्वारा सत्यापित किया जायेगा। किसी परिवार की बची हुयी भूमि की गणना हेतु उनके परियोजना प्रभावित क्षेत्र से बाहर की भूमि को भी संज्ञान में लिया जाएगा। भूमिविहीन परिवार का सत्यापन उस जिले के जिलाधिकारी या उसके द्वारा नामित उपजिलाधिकारी से अन्यून स्तर के अधिकारी के द्वारा किया जाएगा जिस जिले में परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

(5) "मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार" जो की आवासविहीन हो गऐ हो।

मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार जो कि आवासविहीन हो गऐ हो से तात्पर्य ऐसे परिवारों से है जिनका रिहायसी आवास परियोजना हेतु अधिग्रहित किया गया हो। यह संबधित जिलाधिकारी या उसके द्वारा नामित उपजिलाधिकारी से अन्यून स्तर के अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जायेंगें।

(6) उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के अतिरिक्त मुख्य परियोजना प्रभावित ऐसे परिवार होगे जो ऊपर दी गयी परिभाषाओं के अनुसार भूमिविहीन होने के साथ

साथ आवासविहीन हो गये हों। ऐसे मामले भूमिविहीन तथा आवासविहीन परियोजना प्रभावित परिवारों के समान लाभ के पात्र होंगे जो कि संबंधित जिलाधिकारी या उसके द्वारा नामित उपजिलाधिकारी से अन्यून स्तर के अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जायेंगे।

(7) परियोजना प्रभावित क्षेत्रः

परियोजना प्रभावित क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो परियोजना प्रशासन द्वारा अधिसूचित किया जायेगा अथवा जहां भूमि परियोजना की किसी भी संरचना के लिए भूमि अधिकृत की जाएगी जैसे डूब क्षेत्र, अवस्थापना, आबादी, कार्यालय, निर्माण सुविधायें, कल्याणकारी सुविधायें इत्यादि। परियोजना प्रभावित क्षेत्र निर्धारित करने हेतु पंचायतो को संम्पूर्ण यूनिट माना जाएगा।

(8) "परियोजना प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र"

परियोजना प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र से तात्पर्य उस जोन से है जो परियोजना प्रशासन द्वारा अधिसूचित किया जायेगा अथवा परियोजना प्रभावित क्षेत्र के साथ–साथ परियोजना क्षेत्र के आस–पास के क्षेत्र है जहाँ परियोजना की कोई भी प्रत्यक्ष गतिविधि न होने के बावजूद भी इसका प्रभाव वहाँ लोगों के जीवन पर पड़ता है। परियोजना प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित करने के लिए यूनिट पंचायत होगी।

स्पष्टीकरणः

परियोजना प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र में केवल वही पंचायते होगी जहाँ परियोजना कार्य वास्तव में किया जायेगा (सतह एवं भूमिगत दोनों) जिसमें परियोजना का डूब क्षेत्र भी सम्मिलित होगा। परियोजना भौगोलिक क्षेत्र से जुडी पंचायतें भी बड़े वाहनों की आवाजाही, ब्लासटिंग अथवा धूल इत्यादि से प्रभावित होंगे। ये पंचायत भी परियोजना प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। परियोजना प्रभावित क्षेत्र से आधे किलोमीटर से एक किलोमीटर के दायरे में आने वाली पंचायतों को लिया जा सकेगा।

(9) "कृषि मजदूर" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो परियोजना क्षेत्र में अधिसूचना लागू होने से कम से कम तीन वर्ष पूर्व से रह रहा हो और जिसके पास परियोजना क्षेत्र में कोई भूमि स्वामित्व न हो तथा जो अधिसूचना जारी होने से पूर्व अपनी आजीविका हेतु मजदूरी या कृषि मजदूरी पर निर्भर हो एवं अधिसूचना जारी होने के उपरान्त अपनी आजीविका से वंचित हो गया हो।

(10) "कृषि भूमि" वह भूमि सम्मिलित है जो निम्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लायी जाती हैः–

- कृषि एवं उद्यानिकी

- दुग्धशाला, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, पशुओं के प्रजनन या औषधीय जड़ी बूटी को उगाने वाली नर्सरी
- फसल, घास एवं बगीचों के उत्पादन
- कृषको द्वारा मवेशियों के चारागाह में प्रयुक्त भूमि, परन्तु भूमि जिसमें इसमें सिर्फ पेड़ो की कटाई होती हो को इसमें सम्मिलित नहीं माना जाएगा।

(11) **"सक्षम/उपयुक्त सरकार"** से तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार से है।

(12) **"परियोजना प्रशासन"** से तात्पर्य जल विद्युत/बहुद्देशीय परियोजना, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वतंत्र बिजली उत्पादक या कोई अन्य से है।

(13) **"गरीबी रेखा से नीचे के परिवार"**

गरीबी रेखा से नीचे वे परिवार होंगे जो योजना आयोग एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर तथा अधिसूचना के समय गरीबी रेखा के अन्तर्गत परिभाषित हो।

(14) **"पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु प्रशासक"** से तात्पर्य उस अधिकारी से है जो प्रभावितों हेतु पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किया गया हो तथा जिला कलेक्टर की श्रेणी से नीचे का न हो, सामान्यतः सम्बन्धित जिला जहां परियोजना स्थित है अथवा जहां परियोजना का ज्यादातर क्षेत्र स्थित है का उपायुक्त होता है।

(15) **"पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु आयुक्त"** से तात्पर्य उस अधिकारी से है जो प्रभावितों हेतु पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किया गया हो तथा आयुक्त श्रेणी का हो अथवा उस सरकार में समकक्ष समान श्रेणी का अधिकारी हो।

(16) **"डी.डी.पी ब्लाक"** से तात्पर्य उस ब्लाक से है जिसकी चिन्हीकरण भारत सरकार के Desert Development Programme के तहत किया गया है।

(17) **"खातेदार"** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका नाम राजस्व रिकार्ड में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि में दर्ज हो।

(18) **"भूमि अधिग्रहण"** या **"भूमि का अधिग्रहण"**से तात्पर्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 (1894 का 1) जो समय–समय पर संशोधित हो के तहत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि से है या केन्द्र एवं राज्य में लागू होने वाले अन्य कानून से हो।

(19) **"सीमान्त कृषक"** से तात्पर्य उस कृषक से है जिसके पास एक हेक्टेएर तक की असिंचित भूमि का स्वामित्व अथवा आधा हेक्टेएर तक की सिंचित भूमि का स्वामित्व है।

(20) " गैर कृषि मजदूर/ग्रामीण दस्तकार/स्वरोजगार " से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कृषि मजदूर नहीं है परन्तु प्रभावित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने से कम से कम तीन वर्ष पूर्व से मूल रूप में रह रहा हो तथा प्रभावित क्षेत्र में उसके पास कोई भूस्वामित्व नहीं है परन्तु अपनी आजीविका उपार्जन हेतु मुख्यतः मजदूरी पर निर्भर हो अथवा अधिसूचना जारी होने से पूर्व एक ग्रामीण दस्तकार जो प्रभावित में कृषि मजदूरी पर निर्भर हो एवं अधिसूचना जारी होने से अपनी आजीविका से वंचित हो गया हो अथवा क्षेत्र के ऐसे ग्रामीण दस्तकार जिसकी आजीविका प्रभावित हो रही हो।

(21) "अधिसूचना" से तात्पर्य भारत के राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना से अथवा राज्य सरकार के राजपत्र से जो भी लागू हो से है।

(22) "कब्जाधारक" से तात्पर्य अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से है जिनका 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन भूमि पर कब्जा हो।

(23) "पुर्नवास क्षेत्र" से तात्पर्य घोषित क्षेत्र से है।

(24) "लघु कृषक" से तात्पर्य उस कृषक से है जिसके पास दो हेक्टेयर तक की असिंचित भूमि का स्वामित्व अथवा एक हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि का स्वामित्व है परन्तु मार्जिनल कृषक से ज्यादा का स्वामित्व हो।

(25) "किरायेदार" से तात्पर्य उन लोगों से है जो प्रभावित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के लागू होने से कम से तीन वर्ष पूर्व से उस क्षेत्र में रह रहें हैं तथा जिला प्रशासन से सत्यापित हैं।

(26) "अतिक्रमणकारी" वह परिवार है जो परियोजना क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के लागू होने से कम से कम तीन वर्ष पूर्व से गैर कानूनी तौर पर सरकारी भूमि मे रह रहें हैं तथा जिला प्रशासन से सत्यापित हैं।

(27) सरकारी पट्टा धारक/कानूनी मालिक जिसके पास परियोजना क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के लागू होने के समय पर विभागीय पटटा है को भूमि स्वामी के समतुल्य माना जायेगा।

भाग– 4

10. परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक प्रभाव का आंकलनः

(1) वहाँ के लोगो, उनकी जीवन शैली, समुदाय एवं समाज पर होने वाले प्रभाव को तय करने हेतु, एक स्वतंत्र एवं व्यवसायिक संस्था द्वारा सामाजिक प्रभाव के आंकलन का अध्ययन किया जायेगा। यह अध्ययन मुख्य परियोजना संरचनाओं के कार्य प्रत्येक परियोजना जिसमें मैदानी क्षेत्रों में

सामूहिक रूप से 400 या इससे अधिक परिवारों अथवा जनजातीय या पहाड़ी क्षेत्रों, डी0डी0 पी0 ब्लॉक्स में वर्णित क्षेत्रों में सामूहिक रूप से 200 या इससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता है में आरम्भ होने से पूर्व किया जायेगा।

(2) इस अध्ययन में जनता तथा समुदाय की सम्पत्तियों (विशेषकर साधारण घास के मैदान, वन अधिकार), उपलब्ध बुनियादी सुविधायें जैसे कि सड़कें, पानी की आपूर्ति, सिंचाई, विद्यालय, चिकित्सा सुविधायें, मेलों एवं त्योहारों पर बिजली आपूर्ति, पूजा स्थलों, कब्रगाह एवं शमशान भूमि आदि, बाँध या मोड़े गए जल श्रोत से सटे गांवो में पहुँच मार्ग, जीवन यापन के साधन, भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन आदि में कमी पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल होंगे।

11. पर्यावर्णीय प्रभाव आंकलन :

ई0आई0ए0 की जन–सुनवाई के साथ अथवा अलग से जन–सुनवाई की जायेगी। इस पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना को सामाजिक प्रभाव आंकलन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार संशोधित किया जायेगा।

12. आधार–भूत सर्वेक्षण कार्य :

परियोजना प्रभावित क्षेत्रों मे एक आधार–भूत सर्वेक्षण किया जायेगा जिसके अन्तर्गत निम्न कार्य होंगे:–

(1) उस क्षेत्र मे निवास कर रहे परिवार सम्बन्धी सूचनायें, उनके व्यवसाय, आय, शिक्षा, उपलब्ध आवास एवं साधारण संसाधनों पर निर्भरता।

(2) उपलब्ध बुनियादी ढांचे एवं संसाधन।

(3) भू–स्वामित्व।

(4) परिवार के स्थाई रूप से निवास कर रहे वे सदस्य जोकि प्रभावित क्षेत्र में किसी व्यापार, व्यवसाय, पेशो अथवा प्रशिक्षण में संबद्ध हैं।

(5) वे परिवार जिन्होने अपने आवास, कृषि भूमि, रोजगार या तो खो दिये हैं अथवा खाने वाले हैं अथवा अपने मुख्य व्यवसाय, व्यापार, पेशे या प्रशिक्षण स्रोत से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से वंचित हो चुके हैं।

(6) कृषि मजदूर एवं गैर कृषि मजदूर।

(7) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित वर्ग।

(8) कमजोर व्यक्ति जैसे कि अक्षम, निर्धन, अनाथ, विधवाओं, अविवाहित लड़कियां, परित्यक्त महिलायें अथवा ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है तथा जिनकी आजीविका का साधन नहीं रह गया है एवं तुरन्त आजीविका नहीं दी जा सकती है तथा जिनको परिवार के अंग के रूप में सम्मलित नहीं किया गया है।

(9) वे परिवार जोकि भूमिहीन हैं (जिनके पास भवन हेतु भूमि नहीं है तथा कृषि भूमि नहीं है अथवा दोनों मे से कोई एक नहीं है) एवं गरीबी रेखा से नीचे है लेकिन जो भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना के लगभग 3 वर्ष पूर्व से प्रभावित क्षेत्र मे निवास कर रहे हैं।

(10) अनुसूचित जनजाति के वे परिवार जिनके पास दिसम्बर 13, 2005 से पूर्व प्रभावित क्षेत्र में वनभूमि है अथवा थी।

भाग– 5

13. कल्याण अनुदान का मुआवजा एवं स्वीकृति

(1) भूमि अधिग्रहण का मुआवजा:

अधिगृहित भूमि हेतु मुआवजे का भुगतान वरिष्ठ भूमि अध्याप्ति अधिकारी (SLAO) द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा। यदि सम्भव हो तो मुआवजे के बदले कृषि भूमि आवंटित की जायेगी। यदि अधिगृहित भूमि के बदले भूमि देना सम्भव नहीं है लेकिन यदि कुछ भूमि वितरित करने हेतु उपलब्ध हो तो प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को कृषि एवं गैर कृषि भूमि उसकी मूल अधिगृहीत जोत के समानुपाती आधार पर दी जायगी। यह भूमि केवल उन परियोजना प्रभावित परिवारों को दी जायेगी जो कि प्रथमतया कृषि पर निर्भर हैं तथा जिनकी आजीविका मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप प्रभावित हुई है। किसी भी दशा मे अधिगृहित भूमि से अधिक भूमि आवंटित नहीं की जायेगी। भूमिदेय कोई अधिकार नहीं होगा तथा यह जहॉ तक सम्भव हो एक कल्याण का साधन होगा।

इस नियम के तहत यदि बंजर भूमि अथवा निम्न स्तर की भूमि का आवंटन किया जाता है तो भूमि विकास भार हेतु रू0 2 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान किया जायेगा।

यदि भूमि के बदले भूमि उपलब्ध ना हो अथवा परियोजना प्रभावित परिवार भूमि आवंटन न चाहता हो तो उन्हें सर्किल रेट से 1.5 गुना अतिरिक्त राशि जो कि भूमि अधिग्रहण के दौरान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (SLAO) द्वारा तय की गई हो, अनुग्रह राशि के रूप में दी जायेगी। यह सहायता केवल उसी दशा मे दी जायेगी जब परियोजना प्रभावित परिवार यह सिद्ध करने मे सक्षम होगे कि इस धनराशि का उपयोग उनके द्वारा इस नियम के अर्न्तगत प्रभावित परिवार को दिये गये धनराशि से अधिक मूल्य के भूमि खरीदने में किया जाएगा।

टिप्पणी :–

(क) परियोजना प्रभावित परिवार जिनकी 70 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण परियोजना हेतु हो चुका हो और जो अधिग्रहण के फलस्वरूप सीमांत किसान की श्रेणी में आ गये हैं उनको न्यूनतम मुआवजा रू0 10 लाख दिया जायेगा।

(ख) परियोजना प्रभावित परिवार जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण परियोजना हेतु हो चुका हो और जो अधिग्रहण के फलस्वरूप

लघु किसान की श्रेणी में आ गये हैं उनको न्यूनतम मुआवजा रू0 05 लाख दिया जायेगा।

जिन परियोजना प्रभावित परिवारों को भूमि आवंटित की जायेगी अथवा जो कृषि भूमि क्रय करेंगे उनको कृषि उत्पादन हेतु रू0 10,000/– की नकद धनराशि प्रदान की जायेगी।

(2) आवास संरचना के लिए मुआवजाः

आवास संरचना के मुआवजे का भुगतान लोक निर्माण विभाग द्वारा तय की गई नवीनतम सामूहिक अनुसूची दर के आधार पर बिना किसी ह्रास के परिवर्तनीय लागत के आधार पर किया जायेगा। यदि किसी कारणवश संरचना आंशिक रूप से अधिग्रहित किया जाता है, तो बचे हुए ढाँचे की सुरक्षा एवं व्यवहारिकता का आंकलन उस वक्त के परिवर्तनीय लागत के आधार पर निर्धारित दर पर किया जायेगा। आंशिक रूप से प्रभावित संरचना के मरम्मत का मूल्य परिवर्तनीय लागत के आधार पर दिये जाने वाले मूल्य का 25% होगा, जो कि लोक निर्माण विभाग की नवीनतम सामूहिक अनुसूची दर पर आधारित होगा। कच्ची संरचना के सम्बन्ध में, धारक नामित व्यक्ति वास्तविक धनराशि पाने का हकदार होगा जो कि न्यूनतम रू0 6,000/– है।

(3) वृक्षों का मुआवजा वन विभाग के मूल्यांकन के आधार पर दिया जायेगा।

(4) अन्य संरचनाओं का मुआवजा लोक निर्माण विभाग के मूल्यांकन के आधार पर (न्यूनतम रू 0 15,000/– प्रति संरचना) दिया जायेगा।

(5) वे परिवार जिनके पशु शेड परियोजना क्षेत्र मे अधिग्रहित कर लिया गया है, उनको एक मुश्त रू0 10,000/– की वित्तीय सहायता दी जायेगी। किसी भी दशा मे अनुदान की राशि रू0 25,000/– प्रति परिवार से अधिक नहीं होगी।

14 पुनर्स्थापना अनुदान

(1) परियोजना प्रभावित परिवार जो भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप लघु किसान के रूप में परिवर्तित हो गये है को पुनर्स्थापना अनुदान के रूप में एक मुश्त 750 दिनो की न्यूनतम कृषि मज़दूरी दी जाएगी एवं इसके अलावा अन्य सभी परियोजना प्रभावित परिवारों को 500 दिनों की न्यूनतम कृषि मज़दूरी के बराबर की राशि प्रदान की जाएगी।

(2) विस्थापित दुकानदारों को परियोजना टाउनशीप के मार्केट काम्पलेक्स में जहाँ कही भी परियोजना द्वारा उन्हें निर्मित किया गया हो, दुकानें आवंटित की जायेंगी। इसके अतिरिक्त वे एक मुश्त रू0 20,000/– विस्थापन अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे। ऐसे विस्थापित दुकानदारों को आवंटित व्यावसायिक स्थान/दुकानों का प्रयोग उनके स्वंय अथवा उनके उत्तराधिकारियों द्वारा उनके निजी हितों मे किया जायेगा । यदि परियोजना दुकानें आवंटित करने मे असफल रहती है तो विस्थापित दुकानदारों को रू0 2,00,000/– की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

(3) पुनर्वासित कालोनी मे अवस्थापना सुविधाओं के साथ–साथ परियोजना की लागत पर जल आपूर्ति, सिवरेज, नालियां, बिजली आपूर्ति, सड़कें, सामुदायिक केन्द्र, हरित क्षेत्र, पार्क, स्कूल, कॉलेज तथा कालोनी तक पहुँच मार्ग/सडकों की सुविधा भी प्रदान की जायेंगी। जल आपूर्ति आदि सुविधाओं को सम्बन्धित विभाग/निगम द्वारा करवाने का यथासम्भव प्रयास किया जायेगा। जल आपूर्ति आदि सुविधाओं को सम्बन्धित विभाग/निगम द्वारा करवाने का यथासम्भव प्रयास किया जायेगा जिससे कि उन सुविधाओं का संचालन व रखरखाव का व्यय सम्बन्धित विभाग द्वारा ही किया जाये।

(4) परियोजना प्रभावित परिवारों एवं विस्थापित दुकानदारों के पुनर्वासित कालोनी के निर्माणोपरान्त उसमे घरेलू सामानों के भौतिक विस्थापन परियोजना लागत पर यातायात की सुविधा प्रदान की जायेगी अथवा रू0 20,000/– की धनराशि दी जायेगी जिसके लिये प्रभावित परिवारों/दुकानदारों से विकल्प आमंत्रित किये जायेंगे।

(5) यदि परिवार भवनहीन हो गया है और यदि उसे सभी घरेलू साज–समान सहित शिफ्ट करना है अथवा यदि परिवार भूमिहीन हो गया है और किसी अन्य स्थान पर आजीविका हेतु स्थानान्तरित होना चाहता है अथवा अजीविका परिवर्तन करता है या अस्वेच्छा से विस्थापित होता है तो प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को 12 माह तक 25 दिन प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी का परिवर्तनीय/निर्वाहन भुगतान भत्ते के रूप मे दिया जायेगा।

(6) प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार जोकि विस्थापित हो गया है और जिनके पास पशु आदि हैं, को पशु के शैड निर्माण हेतु रू0 20,000/– दिये जायेंगे।

(7) प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार जो कि कारीगर है, छोटा व्यापारी है अथवा स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति है और विस्थापित हो गया हैं, उन्हें दुकान अथवा कार्यशाला के निर्माण हेतु एक मुश्त रू0 50,000/– की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(8) ऐसे परिवार जिनको परियोजना के कारण भवन स्थानान्तरित करना पड़ रहा है, को अगर आवास उपलब्ध हो तो अस्थायी आवास सुविधा प्रदान की जायेगी अन्यथा 12 माह के लिए रूपये 2,500/– प्रतिमाह की दर से मासिक किराया दिया जायेगा।

15. **वन अथवा सरकारी भूमि से आय मे हानिः**

यदि परियोजना प्रभावित परिवारों का छोटे वन उत्पादों जैसे जड़ी बूटियों, चिलगोजा आदि पर अधिकार हो तथा सरकारी/वन भूमि के अधिग्रहण के फलस्वरूप वह अपने अधिकारों से होने वाली आय/लाभ से वंचित हो गये हो तो उनको यथाचित एकमुश्त अनुदान धनराशि दी जायेगी। वन विभाग के दरों के आधार पर एक वर्ष की आय के अनुरूप एक मुश्त धनराशि अन्यथा 12 माह

तक 25 दिन प्रतिमाह न्यूनतम दैनिक कृषि मजदूरी दी जायेगी। यदि इस प्रकार अधिग्रहित की जा रही भूमि का कुछ भाग परियोजना हेतु शामिल नहीं किया गया है और जो डूब क्षेत्र में नहीं है अथवा जिसपर निर्माण कार्य नहीं हो रहा है को ज्यों का त्यों रिजरवायर/परियोजना के आस–पास बफरजोन के रूप में रखा जाएगा एवं इसके सुरक्षित होने की स्थिति में परियोजना प्रभावित परिवारों को उस वन क्षेत्र से लघु वन उत्पादों के दोहन की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रस्तर के प्रयोजन हेतु वन भूमि से उत्पादो के दोहन को अधिकार का प्रमाणन वन विभाग के डी0एफ0ओ0 से अन्यून स्तर के अधिकारी द्वारा किया जायगा।

16. रोजगारः

(1) भूमिहीन हो गये प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार के एक सदस्य को परियोजना अधिकारियों द्वारा आवश्यक अर्हतायें एवं लिखित परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करने की शर्त पर तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त पदों पर उपलब्धता के आधार पर जब कभी इस वर्ग मे कोई भर्ती प्रकिया होती है तो रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमिहीन हो गये व्यक्ति जो ऊपर वर्णनानुसार रोजगार की पात्रता रखते हैं को पहले मौका दिया जाएगा एवं यदि कोई सक्षम व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उसी स्थिति मे रोजगार हेतु साधारण प्रक्रिया अपनाई जायेगी। लेकिन जिन व्यक्तियों को दुकानें आवंटित की गयी हैं उनको रोजगार की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी।

रोजगार के लिये नाम के प्रायोजन के लिये संबंधित जिलाधिकारी द्वारा वरीयता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मापदंडों का पालन किया जायेगा।

(2) ऐसे प्रभावित परिवार जिनकी समस्त भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

(3) प्रभावित परिवार जो कि परियोजना द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण भूमिहीन हो गये हैं।

(4) यदि वहां कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होने अपनी आजीविका के स्रोत पूर्णतः खो दिये हैं तथा जिनके पास अन्य किसी व्यवसाय को करने हेतु क्षमता अथवा वित्तीय सामर्थ्य नही है तथा जिनको वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही कराई गई है ऐसे परिवारों के एक सदस्य को उप आयुक्त की अनुशंसा एवं पूर्ण सत्यापन के पश्चात् विशिष्ठ केस के रूप में वाह्य संस्थान के माध्यम से रोजगार देने हेतु परियोजना अधिकारी विचार कर सकते हैं।

(5) ऐसे परियोजना प्रभावित परिवार जो कि अनुच्छेद 16.(4) के अनुसार वाह्य संस्थान के माध्यम से रोजगार हेतु अर्ह हों परन्तु जिनको रोजगार उपलब्ध नही कराया जा सका हो को प्रति परिवार 1000 दिन के न्यूनतम मजदूरी के बराबर विशेष पुनर्वास/रोजगार अनुदान दिया जायेगा। परियोजना प्रभावित परिवारों को प्रत्यक्ष रोजगार हेतु प्रतीक्षा करने का अथवा अनुदान लेने का विकल्प भी दिया जायेगा।

(6) प्रत्येक भेद्य व्यक्ति जैसा कि विकलांग, निराश्रित, अनाथ, विधवाएं, अविवाहित लड़कियाँ (वित्तीय सहायता विहीन), परित्यक्त महिलाऐं अथवा या 50 वर्ष से ऊपर की आयु के निर्धन व्यक्ति (जो असमर्थ हैं) जिनको वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध नहीं कराई गई है अथवा तुरन्त उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है तथा जो परिवार के अंग मे नहीं आते हैं, को प्रतिमाह रू0 1,000/– की पेंशन योजना के लागू होने के उपरान्त आजीवन दिया जाएगा। भेद्य परियोजना प्रभावित परिवार वे होंगे जो इस योजना के अन्तर्गत प्रशासक द्वारा चिन्हित किये जायेंगे।

17. द्वितीयक रोजगारः

परियोजना प्रभावित परिवारों को प्रत्यक्ष रोजगार के अलावा अन्य रोजगार पाने में निम्नवत् सहायता प्रदान की जायेगी :–

(1) परियोजना प्रभावित परिवारों तथा परियोजना प्रभावित क्षेत्र के अन्य निवासियों के ऐसे बच्चे जो कि किसी व्यवसायिक पाठयक्रम के छात्र हों को वरीयता छात्रवृत्ति योजना परियोजना अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के साथ सलाह द्वारा तैयार की गयी योजना के आधार पर दी जायेगी। परियोजना अधिकारी परियोजना प्रभावित परिवारों तथा परियोजना प्रभावित क्षेत्र के अन्य निवासियों के बच्चों को आई0टी0आई0 में कुछ विशेष सीटों के आवंटन हेतु भी विचार करेंगें। परियेाजना प्रभावित क्षेत्र के निवासियों के लिये रोजगार अवसर बढाने हेतु प्रशिक्षुता प्रदान करने तथा कार्य पर प्रशिक्षण की कुछ योजनाऐं आरम्भ की जायेगी। परियोजना प्रभावित क्षेत्र में विद्यालय जाने वाले छात्रों हेतु मेघा छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की जायेगी।

(2) परियोजना अधिकारी अर्ह परिवारों के ऐसे समूहों को वरीयता के आधार पर छोटे अनुबंध प्रदान करने पर विचार करेंगे जिससे कि कुछ को रोजगार उपलब्ध हो सके। साथ ही परियोजना अधिकारी अपने ठेकेदारों को निर्माण के दौरान प्रभावित परिवारों में से अर्ह व्यक्तियों को वरीयता के आधार पर यथासंभव कार्य में लगायेंगे। परियोजना प्रभावित परिवारों को अन्य रोजगार के अवसर जैसे कि वाहनों का किराये पर लिया जाना भी सम्मिलित है उपलब्ध करवाये जायेंगे। सामान्यतः रू0 05 लाख लागत के सभी अनुबंध अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन करते हुये परियोजना प्रभावित परिवारों को दिये जायेंगे तथा यदि परियोजना प्रभावित परिवार उपलब्ध ना हो तो परियोजना प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को दिये जायेंगे। परियोजना द्वारा आवश्यकता के अनुसार किराये पर लिये गये सभी वाहन परियोजना प्रभावित परिवारों के होंगे तथा यदि परियोजना प्रभावित परिवार उपलब्ध ना हो तो परियोजना प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के होंगे। परियोजना प्रभावित परिवारों से किराये पर लिये गए वाहन 3 + 1 वर्षो के लिए होगे।

(3) परियोजना प्रभावित परिवारों (जैसे कि ग्रामीण कारीगर/छोटे व्यापारी तथा स्वरोजगार कर्मी) को विभिन्न उपयुक्त स्वरोजगार व्यवसाय जैसे कि डेयरी, पोलट्री फार्म, बुनकर, बेकरी, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग इकाई/दुकान तथा निगम को वाहन किराये पर देना आदि प्रारम्भ करने हेतु सहायता दी जायेगी। परियोजना अधिकारी बीज पूंजी के रूप में रू0 50,000/– प्रति परिवार की दर से अनुदान धनराशि उपलब्ध करवायेंगे । अनुदान केवल एक बार दिया जायेगा।

इस अनुदान हेतु केवल ऐसे परिवार पात्र होंगे जिनको परियोजना में रोजगार नही दिया गया है अथवा दुकान आवंटित नही की गयी है।

उपरोक्त अनुदान हेतु परियोजना प्रभावित परिवारों के अलावा वरीयता के आधार पर ऐसे जरूरतमंद परिवार जो कि परियोजना प्रभावित क्षेत्र के निवासी हो पर भी विचार किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण :–

ग्रामीण कारीगर, छोटे व्यापारी तथा स्वरोजगार कर्मी के प्रकरण में अनुदान अर्हता हेतु उप आयुक्त द्वारा आजीविका के स्रोत पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रमाणित किया जायेगा।

(4) परियोजना प्रभावित परिवारों तथा अन्य मछुवारों जिनके पास नदी से मछली पकडने के अधिकार प्राप्त हो उनको जलाशय से मछली पकडने के अधिकार भी दिये जायेंगें।

(5) यदि परियोजना के निर्माण अथवा संचालन के समय परियोजना अधिकारियों द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न सेवाओं जैस कि हाउसकीपिंग, बागवानी, टाइपिंग, रखरखाव, कम्पयूटर कार्य, कार्यालय सहायक आदि हेतु मानव शक्ति की आवश्यकता होगी तो इस स्थिति में प्रथम अवसर परियोजना प्रभावित परिवारों को ठेकेदार के रूप में अथवा ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु लगाये जाने वाले कार्मिकों के रूप में दिया जायेगा। यदि परियोजना प्रभावित परिवार अनैच्छिक हो तो इस स्थिति में परियोजना प्रभावित क्षेत्र के अन्य निवासियों पर विचार किया जा सकता है।

18 किरायेदार जो अधिसूचना से तीन साल पहले से परियोजना क्षेत्र में आवास कर रहे हो और जिला प्रशासन के द्वारा प्रमाणित किये गये हों उनको पुनर्वास अनुदान रू0 10,000/– (रू0 दस हजार) देय होगा और एक मुश्त आजीविका की हानि के लिए 500 दिन के न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

19 **कब्जाधारी (सरकारी भूमि पर रहने वाले)** कब्जाधारी जो कि अधिसूचना के जारी होने के तीन साल पहले से परियोजना क्षेत्र में आवास कर रहे हों और जो जिला प्रशासन द्वारा प्रमाणित हो को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के धारा 4 के अनुसार सरकारी जमीन पर संरचना का मुआवजा भुगतान अन्य

मामलों में किये गए आकलन के अनुसार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त रू0 15,000/– पुनर्वास भत्ता एवं आजीविका की हानि के लिए 500 दिन के न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

20 **गैर कृषि मजदूर,** गैर कृषि मजदूरी से जुड़े प्रभावित परिवारों के लिए उपरोक्त वर्णित मामलों के अतिरिक्त जैसे भी हो, आजीविका की हानि के लिए 500 दिनों के न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर की राशि दी जायेगी।

21 भूमिहीन कृषि मजदूर जो कि अधिसूचना जारी होने के कम से कम 3 वर्ष पूर्व से प्रभावित क्षेत्र में निवास कर रहे हो, जो भूमि का मालिक नहीं हो लेकिन कृषि भूमि पर मजदूरी कर अपनी जीविका पालन कर रहा हो को 500 दिनो के न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर की राशि दी जायेगी।

22 प्रत्येक गरीबी रेखा के नीचे बी.पी.एल. कार्ड धारक प्रभावित परिवार जो आवास विहिन हो तथा जो अधिसूचना जारी होने के कम से कम 3 वर्ष पूर्व से परियोजना क्षेत्र में आवास कर रहे हो और जो अनैच्छिक रूप से विस्थापित किये गए हो को ग्रामीण पुर्नवास क्षेत्र में न्यूनतम 100 वर्ग मी0 प्लिंथ एरिया अथवा शहरी पुर्नवास क्षेत्र में न्यूनतम 50 वर्ग मीटर प्लिंथ एरिया का आवास बहुमंजिला इमारत में दिया जायेगा अथवा इसके बदले में रू0 4.0 लाख का भुगतान किया जायेगा।

23 भूमि अधिग्रह कानून के धारा 4 के लागू होने के समय पर सरकारी पट्टा धारक/कानूनी वारिस जिन्हें जिला प्रशासन के द्वारा मान्यता प्राप्त हो भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के अन्तर्गत पुनर्वास लाभ देने हेतु भूमि मालिक माना जायेगा।

24 **अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति से संबंधित परियोजना प्रभावित परिवारों हेतु पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन लाभः**

(1) यदि परियोजना के कारण परिवार वन सम्पदा पर पहुंच से वंचित होती है, तो वैकल्पिक ईधन, चारा तथा गैर लकड़ी वन उपज के विकास के लिये एक विशेष योजना तैयार की जायेगी।

(2) यदि क्षेत्र में कोई भूमि उपलब्ध है, तो भूमि के बदले भूमि आवंटन में पहले अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक परिवार को प्राथमिकता दी जायेगी और तत्पश्चात् अनुसूचित जाति के प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(3) प्रत्येक प्रभावित जनजातीय परिवार को वन उत्पादों पर परम्परागत अधिकारों के खोने अथवा उपयोगों से वंचित होने के बदले में 500 दिनों की न्यूनतम कृषि मजूदरी के बराबर एक मुश्त अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

(4) प्रभावित अनुसूचित जनजाति परिवारों को जहां तक सम्भव हो, उसी अनुसूचित क्षेत्र में एक संयुक्त ब्लाक में पुनः बसाया जायेगा ताकि वे अपनी जातीय, भाषीय और सांस्कृतिक पहचान को कायम रख सके।

(5) जनजातीय परिवारों की प्रमुखता वाले क्षेत्रों में भूमि उपलब्ध होने पर एक हजार वर्ग मीटर भूमि समुदाय तथा धार्मिक समारोहों के लिये बिना किसी लागत के दी जायेगी अथवा समुदाय के लिये रू0 2.5 लाख एक मुश्त मुआवजा दिया जायेगा।

(6) ऐसे प्रभावित अनुसूचित जनजाति परिवार जिन्हें जिले के बाहर पुनःस्थापित किया गया है, 25 प्रतिशत अधिक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अनुदान प्राप्त करेंगे।

(7) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भी उनकी अधिग्रहित भूमि का मुआवजा निकटस्थ उपलब्ध सामान्य जाति के व्यक्तियों की अधिग्रहित भूमि के सर्किल रेट के बराबर दिया जायेगा।

25. सामान्यः

(1) प्रभावित परिवारों के लिए एक या एक से अधिक उपरोक्त लाभों के बदले में एक मुश्त धनराशि लेने के विकल्प दिये जा सकते है।

(2) अन्य प्रभावित परिवारों को भी जो इस नीति के प्राविधानों में नहीं आते हैं को एनपीपीआर 2007 के प्राविधानों के अनुसार संबोधित किया जायेगा।

(3) इस नीति के अंतर्गत मौद्रिक रूप में अभिव्यक्त किए गए पुनर्वास अनुदान तथा अन्य लाभों को इस नीति के प्रवृत्त होने की तारिख से आगे, अप्रैल के प्रथम दिन को संदर्भ तारीख के रूप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा और समुचित सरकार द्वारा उपयुक्त अंतरालों पर इन्हें संशोधित किया जाएगा।

(4) स्टाम्प शुल्कः
स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण के लिए अन्य शुल्कों का भुगतान परियोजना प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(5) जनता की सुरक्षाः
परियोजना निर्माण के दौरान आम जनता से सम्बन्धित परियोजना प्रभावित क्षेत्र में पड़ने वाले घरों के किसी भी क्षति के लिए निगम तृतीय पक्ष बीमा करवायेगा जिसके प्रीमियम की लागत निगम द्वारा वहन की जायेगी।

(6) गैर–मुकदमा प्रेरणा राशिः
उपरोक्त वर्णित विभिन्न श्रेणियो के पुर्नस्थापना अनुदान के लिए मुकदमा नहीं करने वाले परियोजना प्रभावित परिवारों को विभन्न शीर्षों के अन्तर्गत दिये जाने वाले पुर्नस्थापना अनुदान का 10% गैर–मुकदमा प्रेरणा राशि के रूप में दिया जायेगा।

26. अन्य लाभः

(1) प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवारों को परियोजना के कमीशनिंग के दिनांक से 10 वर्ष तक 100 यूनिट बिजली प्रतिमाह दी जायेगी। यदि

परियोजना प्रभावित परिवार की बिजली खपत कम है तो अन्तर का नगदी के रूप में मुआवजा दिया जायेगा।

(2) चिकित्सा कोषः

परियोजना प्रभावित बी.पी.एल. कार्ड धारक परिवार, अक्षम निर्धन अनाथ, विधवाओं, अविवाहित लडकियों, प्रत्यक्त महिलाओं तथा ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है तथा जिनकी आजीविका का साधन नहीं रह गया है की चिकित्सा हेतु नियमावली के माध्यम से एक चिकित्सा कोष स्थापित किया जायेगा। यह कोष बीमारी की वजह से कठिनाईयों में, घातक बीमारी या दुर्घटना के मामलों में उपचार उपलब्ध कराने आदि में आवश्यक होगा। क्षेत्र के अन्य निवासियों के लिये भी दवाईयाँ उपलब्ध करायी जाएगी।

(3) परियोजना प्रभावित परिवारों को परियोजना की चिकित्सा सुविधाओं में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी।

(4) परियोजना प्रभावित क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में समय–समय पर चिकित्सा शिविर आयोजित किये जायेंगे।

(5) परियोजना प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों की सहायता तथा उनके कौशल में सुधार हेतु समय–समय पर व्यवसाय, चिकित्सा, बागवानी तथा पशुपालन प्रशिक्षण तथा जागरूकता शिविर आयोजित किये जायेंगें। समय–समय पर अन्य विषयों जैसे कि लेखा तथा वित्त, छोटे व्यवसाय का संचालन, स्वरोजगार के विकल्प आदि पर भी प्रशिक्षण शिविर लगाये जायेंगें।

(6) यदि ऐसा लगता है कि परियोजना के निर्माण के कारण स्थानीय निवासियों की ईधन आपूर्ति प्रभावित हो रही है तो ऐसे परिवारों जिनकी ईधन आपूर्ति प्रभावित हुई है को वैकल्पिक ईधन अथवा ईधन बचत उपकरण उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाई जायेगी।

(7) प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को एक पहचान कार्ड दिया जायेगा जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम दर्ज होंगें।

(8) परियोजना अधिकारी स्थानीय जनता विशेषकर परियोजना प्रभावित परिवारों को सूचना एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये एक या एक से अधिक परियोजना सूचना कार्यालय स्थापित करेंगें।

(9) स्थानीय मेलों, त्यौहारों और समारोह के आयोजन के लिये अनुदान प्रदान करने हेतु परियोजना अधिकारियों द्वारा एक सांस्कृतिक निधि की स्थापना की जायेगी।

27. अवस्थापना विकासः

(1) क्षेत्र के लिए परियोजना का निर्माण एक प्रमुख विकास गतिविधि है। यह सुनिश्चित किया जाये कि क्षेत्र में उपलब्ध बुनियादी ढांचे का विकास परियोजना के साथ हो।

(2) यदि किसी उपलब्ध बुनियादी सुविधा को परियोजना के कारण कोई क्षति होती है तो इसे पुनः स्थापित किया जायेगा। इसमें जल आपूर्ति, सिंचाई, सडकें, रास्ते, विद्यालय, पूजा स्थल, सामुदायिक भवन आदि शामिल हैं।

(3) स्थानीय लोगों को प्राथमिक रूप से परियोजना के लिये स्थापित बुनियादी सुविधायें जैसे सडकें, पुल, विद्यालय आदि के उपयोग की अनुमति दी जायेगी।

(4) परियोजना प्रभावित क्षेत्र में अवस्थापना विकास हेतु स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) के नाम से एक कोष बनाया जायेगा। इस कोष का प्रशासनिक संचालन समुचित सरकारी आदेश के आधार पर एक स्थानीय क्षेत्र विकास समिति द्वारा किया जायेगा।

(5) परियोजना निर्माण संस्था एल0ए0डी0एफ0 के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त एवम् ऊपर बुनियादी ढांचे का निर्माण स्वयं करेगी जिसका लाभ स्थानीय आबादी को होगा।

28. शिकायत निवारण तंत्रः

(1) निगरानी तंत्रः

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए और सहमत नीति का पालन करने के क्रम में विभागीय एवं निगरानी समिति के द्वारा क्रियान्वयन के दौरान एवं उपरान्त योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन बार–बार किया जायेगा। समुचित सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन की स्कीम या योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए तथा कार्यान्वयन के बाद सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन प्रशासन, जहाँ पर इसकी नियुक्ति की गई हो, अथवा जहाँ पर पुर्नवास तथा पुनर्स्थापन प्रशासन की नियुक्ति नहीं की गई हो, वहाँ पर किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी, जिसे पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन समिति कहा जाएगा।

(2) ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार गठित की गई पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति में उत्तराखण्ड सरकार के अधिकारियों के अलावा निम्नलिखित को सदस्य के रूप शामिल किया जाएगा :–

(क) प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के एक प्रतिनिधि।

(ख) प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के एक–एक प्रतिनिधि।

(ग) स्वयंसेवी संगठन के एक प्रतिनिधि।

(घ) प्रमुख बैंक के एक प्रतिनिधि।

(ड़) प्रभावित क्षेत्र में स्थित पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति।

(च) प्रभावित क्षेत्र में शामिल क्षेत्र के संसद सदस्य और विधान सभा के सदस्य।

(छ) परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी।

(ज) अर्जनकारी निकाय का एक प्रतिनिधि।

29 इस पालिसी के अन्तर्गत उत्पन्न शिकायतों के समयबद्व निपटारा के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एक ऑमबड्समैन की नियुक्ति की जायेगी।

आज्ञा से,

बी0 पी0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 ऊर्जा / 435–2013–100+200 (कम्प्यूटर / रीजियो)।